एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

विदेशी प्रेषण पर टीसीएस के बारे में जानकारी*

विदेशी प्रेषण पर टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) एक प्रकार का कर है जो बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा सीमा सीमा से ऊपर देश के बाहर धन भेजने के समय एकत्र किया जाता है।

नवीनतम नियमों के अनुसार, विदेशी प्रेषण दर पर लागू टीसीएस दर प्रेषण के उद्देश्य के आधार पर भिन्न होती है:

क्र.सं.	प्रेषण का उद्देश्य	न्यूनतम सीमा	टीसीएस की दर	
			साथ बरतन	बिना पैन/निष्क्रिय पैन के
(क)	यदि प्रेषित की जा रही राशि किसी भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से धारा 80 ई में परिभाषित किसी भी वित्तीय संस्थान से प्राप्त ऋण है।	NA	शून्य	शून्य
(ख)	चिकित्सा उपचार/शिक्षा के लिए एलआरएस (अन्य तब उल्लिखित है)	एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर टीसीएस एकत्र किया जाएगा।	2%	5%
(ग)	भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए	एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर टीसीएस एकत्र किया जाएगा।	20%	20%

जब कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के भीतर भारत के बाहर 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो बैंक लागू दर पर स्रोत पर कर एकत्र (टीसीएस) एकत्र करता है। यह कर लेन-देन को निष्पादित करते समय एकत्र किया जाता है। इसके बाद, बैंक इसे सांविधिक समय-सीमा के भीतर सरकार को जमा करता है और आयकर विभाग को रिपोर्ट करता है। प्रेषक आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीसीएस राशि के क्रेडिट का दावा कर सकता है।

टीसीएस की गणना कैसे की जाती है: टीसीएस केवल 10 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक एलआरएस उद्देश्य के लिए 13 लाख रुपये भेजता है, तो टीसीएस की गणना 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 20% की जाती है। इस मामले में, टीसीएस 3 लाख रुपये पर लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप 60,000 रुपये का टीसीएस होगा, जिसे ग्राहक से एकत्र किया जाएगा और सरकार को जमा किया जाएगा।